<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.—540 / 12</u> संस्थापित दिनांक—24.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1— बलराम सिंह पुत्र भागचन्द्र आयु—47 वर्ष। 2— देवीसिंह पुत्र भागचन्द्र कुशवाह उम्र 37 साल निवासीगण — ग्राम छपरा थाना चंदेरीआरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 10.03.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 506बी, 324/34, 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 10.12.2012 को समय 10 बजे करीब पुरूषोत्तम लोधी फरियादी के घर छपरा में मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं फरियादी को धारदार कुल्हाडी से मारपीट कर उसके सिर में चोट पहूँचाकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुरूषोत्तम को लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी/आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण बलराम, देवीसिह को भा.द.वि की धारा 294, 323, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी पुरूषोत्तम ने थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 10.12.2012 को सुबह 10 बजे की बात है कि वह अपने घर के पास खड़ा था तभी गाँव के बलराम कुशवाह एवं देवीसिह कुशवाह आ गये और पैसो के लेन देन के उपर मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो बलराम ने उसे कुल्हाड़ी मारी सिर में पीछे तरफ लगी चोट होकर खून निकल आया, तभी देवीसिह ने पीछे से ाठी मारी जो बांए हाथ में बाजू में लगी दुसरी पीठ में लगी मुंदी चोट आ गई थी। जब वह थाने

रिपोर्ट को आने लगा तो दोनो बोले कि अगर रिपोर्ट को गए तो जान से खत्म कर देगे। घटना के समय पप्पू यादव, चारल यादव, अशोक लोधी थे जिन्होने बीच बचाव किया और घटना देखी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक दिनांक 10.12.2012 को समय 10 बजे करीब फरियादी पुरूषोत्तम लोधी को सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर पुरूषोत्तम के साथ धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

- 06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी पुरूषोत्तम अ0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 3-4 साल पहले की होकर 10-11 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने खेत पर था और खेत पर से लकडियां सिर पर रखकर अपने घर आ रहा था। रास्ते में कीचड होने से और लकडियों का बजन अधिक होने से वह गिर गया था जिससे उसे चोटे आ गई थी। जिस जगह वह गिरा था उस जगह आरोपी बलराम और देवीसिह भी खडे थे जो उसे गिरता देख हसने लगे थे। साक्षी ने उनसे मना किया तो आरोपीगण से उसका वाद विवाद हो गया था इसके अलावा आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त वाद विवाद के संबंध उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई और पुलिस ने उसकी चोटो के परीक्षण हेतु सरकारी अस्पताल चंदेरी भेजा था जहां पर उसकी चोटो का इलाज हुआ था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी पुरूषोत्तम अ0सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 10.12.12 को दिन के 10 बजे करीब वह अपने घर के पास खडा था तभी गाँव के बलराम और देवीसिह कुशवाह आए और पैसे के लेन देन पर से उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे थे। इस बात से इंकार किया कि उसने गाली देने से मना किया तो

बलराम ने उसे कुल्हाडी मारी जो सिर में पीछे लगी चोट होकर खून निकल आया। इस बात से इंकार किया कि देवीसिह ने एक लाठी मारी जो बांए हाथ के बाजू में लगी। इस बात से इंकार किया कि एक लाठी और देवीसिह ने मारी जो पीठ में लगी, मुंदी चोट आई। इस बात से इंकार किया कि फरियादी ने थाने रिपोर्ट करने जाने लगा तो दोनो आरोपी बोले की रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। इस बात से इंकार किया कि घटना के समय पण्य यादव, चारली यादव, अशोक लोधी मौजूद थे जिन्होने बचाया था। स्वतः कहा घटना के समय उसके और आरोपीगण के अलावा कोई मौजूद नहीं था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट और कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि वह आरोपीगण को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रही हूँ।

08— इस प्रकार अभियोजन साक्षी फरियादी/आहत पुरूषोत्तम ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया बिल्क साक्षी ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि रास्ते में कीचड होने से एवं लकडियों का बजन अधिक होने से वह गिर गया था जिससे उसे चोट लग गई थी तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि आरोपीगण ने उसके साथ कुल्हाडी या लाठी से कोई मारपीट नहीं की थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.12.2012 को समय 10 बजे करीब फरियादी पुरूषोत्तम लोधी को धारदार कुल्हाडी से मारपीट कर उसके सिर में चोट पहूँचाकर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपी बलराम सिह, देवीसिह के विरुद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाडी एवं एक लाठी बांस की मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

10— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0